!! शिक्षा है अनमोल रतन, पढ़ने का सब करो जतन !!

आओ पढ़ाएं
सबको बढ़ाएं

समग्र शिक्षा
Samagra Shiksha

मिशन प्रेरणा
उत्तर प्रदेश, प्रेरक प्रदेश

NIPUN BHARAT

प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय हेतु

समग्र शिक्षा अभियान के अन्तर्गत

कम्पोजिट स्कूल ग्राण्ट

(कार्यवाही पंजिका)

शैक्षिक सत्र - 2024-2025

U-DISE Code ....

विद्यालय का नाम ....

ग्राम पंचायत .... न्याय पंचायत ....

विकास खण्ड .... जनपद ....

प्राप्ति स्थान

अध्यापक परीक्षा परिषद
निकट:- चित्रशाला टाकीज, सफदर मार्केट, बहराइच-271801
Mob.: 9454023786, 9721220786
Email.: adhyapakparikshaparishad0786@gmail.com

महानिदेशक, स्कूल शिक्षा
एवं
राज्य परियोजना निदेशक कार्यालय

समग्र शिक्षा Samagra Shiksha

समग्र शिक्षा, विद्या भवन, निशातगंज, लखनऊ -226007

निपुण भारत

वेब-साइट: www.basiceducation.up.gov.in, ई-मेल: upefaspo@gmail.com दूरभाष: 0522-4024440, 2780384, 2781128

प्रेषक,

ई-मेल द्वारा

महानिदेशक,
स्कूल शिक्षा, उत्तर प्रदेश।

सेवा में,

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
समस्त जनपद, उत्तर प्रदेश।

पत्रांकः निoकाo/सoशिo/कoस्कूल ग्राण्ट/350 /2024-25 दिनांकः15 अप्रैल, 2024

विषयः वर्ष 2024-25 में परिषदीय प्राथमिक विद्यालय/उच्च प्राथमिक विद्यालय/कम्पोजिट विद्यालयों में कम्पोजिट स्कूल ग्राण्ट हेतु बजट-निर्देश के सम्बन्ध में।

महोदय/महोदया,

'समग्र शिक्षा' की वार्षिक कार्ययोजना एवं बजट 2024-25 के सम्बन्ध में शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रदेश के परिषदीय प्राथमिक/उच्च प्राथमिक एवं कम्पोजिट विद्यालयों को नामांकन के आधार पर 05 श्रेणी में वर्गीकृत करते हुये **कम्पोजिट स्कूल ग्राण्ट** की स्वीकृति प्रदान की गयी है। कम्पोजिट स्कूल ग्राण्ट हेतु स्वीकृत धनराशि **संलग्नक-1** के अनुसार जनपदवार शीघ्र ही प्रेषित की जायेगी।

उक्त सम्बन्ध में धनराशि उपभोग करने के सम्बन्ध में पूर्व से प्रारम्भिक तैयारी करने हेतु निम्नवत् निर्देश निर्गत किये जाते हैं:-

- ✓ **कम्पोजिट स्कूल ग्राण्ट की धनराशि में सम्मिलित टेबलेट्स के संचालनार्थ सिम कार्ड एवं इन्टरनेट की सुविधा हेतु अनुमन्य धनराशि जनपद स्तर पर रोकते हुए शेष धनराशि विद्यालय प्रबन्ध समिति के खातों में- श्रेणी के अनुसार ही हस्तान्तरित की जायेगी, जिसका व्यवहरण अध्यक्ष एवं सदस्य सचिव (प्रधानाध्यापक) के संयुक्त हस्ताक्षर से किया जायेगा।**
- ✓ पीoएमoश्री योजनान्तर्गत प्रथम एवं द्वितीय चरण के आच्छादित विद्यालयों को कम्पोजिट स्कूल ग्राण्ट अवमुक्त नहीं की जानी है।
- ✓ शासनादेश संख्या 2223/79-5-2012-29/99 टीoसीo-।। दिनांक 06 जुलाई, 2012 के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी। **(संलग्नक-2)**
- ✓ **कम्पोजिट स्कूल ग्राण्ट से क्रय की जाने वाली सामग्री के बिल बाउचर की फोटो तथा कराये जाने वाले कार्यों के सम्बन्ध में कार्य से पूर्व तथा कार्य के पश्चात् की फोटो प्रेरणा पोर्टल पर उपलब्ध प्रारूप पर अपलोड की जायेगी।**
- ✓ प्रत्येक विद्यालय में भवन की दीवार पर कम्पोजिट स्कूल ग्राण्ट के मद में उपलब्ध एवं व्यय होने वाली धनराशि का वर्षवार एवं मदवार विवरण पेन्ट कराया जायेगा।

<u>**अनुमन्य कार्यः-**</u> कम्पोजिट स्कूल ग्राण्ट-2024-25 के अन्तर्गत आवंटित धनराशि का उपभोग निम्नलिखित वरीयता क्रम में विद्यालय प्रबन्ध समिति के अनुमोदनोपरान्त किया जायेगाः-

Note: This document is only for the knowledge and bonafide use of the Department of Basic Education, UP Government. Any sharing, publication or reproduction of this document in print or digital form or communication of its contents in any other form by any unconcerned person, body, institute or third party without prior information and approval of the competent authority will be illegal & void ab initio and appropriate action shall be taken against him in accordance with relevant rules & regulations.

1. कम्पोजिट स्कूल ग्राण्ट हेतु स्वीकृत धनराशि में से विद्यालय द्वारा न्यूनतम 10 प्रतिशत धनराशि स्वच्छता अभियान/कार्यक्रम पर व्यय हेतु आरक्षित की जायेगी, जो विद्यालय भवन, परिसर एवं छात्रों की स्वच्छता पर व्यय की जायेगी। यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि, विद्यालय में आवश्यकतानुसार स्वच्छता सामग्री यथा ट्वायलेट क्लीनर, फिनायल, साबुन, चूना, झाड़ू, डस्टिंग क्लॉथ, नेलकटर, हैण्डवॉश, सैनिटाइजर इत्यादि अनिवार्य रूप से वर्षपर्यन्त उपलब्ध रहे।
2. परिषदीय प्राथमिक विद्यालय के शिक्षकों के उपयोगार्थ उपलब्ध कराये जा रहे टेबलेट्स के संचालनार्थ सिम कार्ड एवं इण्टरनेट की सुविधा (वित्तीय वर्ष 2024–25) हेतु व्यय कम्पोजिट स्कूल ग्राण्ट से किया जायेगा। सिम कार्ड एवं इण्टरनेट की सुविधा(वित्तीय वर्ष 2024–25) हेतु कम्पोजिट स्कूल ग्राण्ट से 01 टेबलेट हेतु अधिकतम रू0 1500/– तथा 02 टेबलेट हेतु अधिकतम रू0 3000/– मात्र के व्यय की अनुमति प्रदान की जा रही है, जिसका समायोजन विद्यालय को प्राप्त होने वाली कम्पोजिट स्कूल ग्राण्ट से यथासमय किया जायेगा। सिम का क्रय स्थानीय स्तर पर मोबाईल नेटवर्क कनेक्टिविटी की उपलब्धता के दृष्टिगत किया जायेगा।
3. 'निपुण भारत' के लोगो (Logo) की पेन्टिंग कार्य हेतु विद्यालय भवन की ऐसी दीवार का चयन किया जाये, जो जनसामान्य हेतु प्रथम दृष्ट्या दृश्यमान हो। लोगो की पेन्टिंग की माप 45 से0मी0 चौड़ा एवं 60 से0मी0 ऊँचे आयताकार आकार में होगी। इस प्रयोजन हेतु जनपद स्तर पर प्रत्येक विद्यालय में 'निपुण भारत' के लोगो (Logo) की उपलब्धता सुनिश्चित की जाये। **(सॉफ्ट कॉपी संलग्न–संलग्नक–3)**
4. विद्यालय के ऐसे शौचालय/मूत्रालय जो छोटी–छोटी मरम्मत/छोटे–छोटे कार्य, यथा– शौचालय शीट/यूरेनल पॉट में टूट–फूट, leach-pit निर्मित न होने अथवा कम गहरा होने आदि के कारण अक्रियाशील हैं, उनमें उक्त कार्यों को कराकर उन्हें क्रियाशील कराया जायेगा। **यदि शौचालय में टाइलीकरण का कार्य नहीं हुआ है, तो इसे अनिवार्य रूप से पूर्ण करा लिया जाये।**
5. रसोंईघर में भोजन तैयार किये जाने एवं रसोंईघर तथा बर्तनों की साफ–सफाई हेतु जल आपूर्ति एवं जल निकासी की समुचित व्यवस्था करायी जायेगी।
6. **समस्त परिषदीय विद्यालयों के प्रत्येक कक्षा–कक्ष में मानकानुरूप एवं गुणवत्तायुक्त व्हाइट/ग्रीन बोर्ड की उपलब्धता अनिवार्य रूप से सुनिश्चित की जाये।**
7. हैण्ड पम्प/सबमर्सिबल पम्प के पास पक्का प्लेटफार्म एवं सोख्ता–गड्ढा का निर्माण अनिवार्य रूप से कराया जायेगा, ताकि हैण्डपम्प के आस–पास जल भराव न हो सके तथा साफ–सफाई रहे।

<u>अन्य आवश्यक कार्य</u>

1. फर्स्ट–एड–बॉक्स हेतु क्रय की गयी सामग्री/दवाईयों की समाप्ति तिथि (expiry date) का अवश्य मिलान करा लिया जाये तथा expired दवायें नष्ट कर दी जायें एवं आवश्यकतानुसार सामग्री क्रय किया जायेगा।
2. विद्यालय में उपलब्ध अग्नि शमन यंत्र की समय से रिफिलिंग सुनिश्चित की जायेगी।
3. विद्यालय के अक्रियाशील विद्युत उपकरण यथा– एल0ई0डी0, ट्यूबलाइट, पंखें, स्विच आदि को ठीक करने अथवा उसके बदलने का कार्य कराया जायेगा।
4. छात्र उपस्थिति पंजिका, शिक्षक उपस्थिति पंजिका, पत्र व्यवहार पंजिका, स्टॉक बुक, पुस्तकालय स्टॉक बुक, अन्य रजिस्टर, वर्ष पर्यन्त आवश्यकतानुसार चॉक एवं डस्टर का क्रय किया जायेगा।
5. उच्च प्राथमिक विद्यालयों के लिये इस अनुदान राशि से प्रयोगशालाओं और कम्प्यूटर शिक्षा विषयक आवश्यक कन्ज्यूमेबल सामग्री तथा इण्टरनेट पर भी व्यय किया जा सकता है।
6. यदि विद्यालय की रंगाई–पुताई गत वर्ष में कम्पोजिट स्कूल ग्राण्ट से अथवा आपरेशन कायाकल्प के अन्तर्गत नहीं कराई गयी है तो वर्षा ऋतु के उपरान्त विद्यालयों की रंगाई–पुताई, दरवाजे, खिड़कियों, ग्रिल, चहारदीवारी, गेट के पेन्ट एवं वॉल–पेन्टिंग का कार्य भी

आवश्यकतानुसार कराया जायेगा। प्रदेश के समस्त परिषदीय विद्यालयों में एकरूपता लाये जाने के लिये आवश्यक है कि भवन बाहर से अनिवार्य रूप से सफेद रंग में पुतवाया जायेगा।

7. कक्षा–कक्षों का टाइलीकरण– ऐसे विद्यालय जिसमें सभी कक्षा–कक्ष की फर्श टूटी–फूटी/क्षतिग्रस्त है और वहाँ रू0 75000/– या उससे अधिक कम्पोजिट स्कूल ग्राण्ट की धनराशि प्राप्त हो रही है वहाँ, प्रथम वरीयता एवं द्वितीय वरीयता के कार्य एवं अन्य आवश्यक कार्यों यथा–सहायक शिक्षण सामग्री, प्राथमिक उपचार सामग्री, अग्निशमक यंत्र की रीफिलिंग, यथावश्यक पेंटिंग कार्य, अक्रियाशील उपकरणों को ठीक कराना/बदलवाना आदि कार्यों को कराने के बाद यदि पर्याप्त धनराशि अवशेष बचती है, तो उपलब्ध धनराशि के अनुरूप कक्षा–कक्षों के टाइलीकरण का कार्य विद्यालय प्रबन्ध समिति से अनुमोदनोपरान्त कराया जायेगा।

8. **स्मार्ट क्लास सुरक्षा एवं रख–रखाव से सम्बन्धित निम्न व्यवस्थायें सुनिश्चित करायी जायेंगीः–**
   - विद्यालय के गेट और कक्षों के समस्त दरवाजों पर सामान्य ताला के स्थान पर डबल इंटरलॉकिंग की व्यवस्था की जाये। साथ ही जिस कक्षा–कक्ष में स्मार्ट क्लास के उपकरण हों, उसकी खिड़कियों पर लोहे की सुरक्षित ग्रिल व पर्याप्त मात्रा में सुरक्षित कुन्डी की व्यवस्था की जाये।
   - जिस कक्ष में अवस्थापना सुविधा का अधिस्थापन किया जाना है, वहाँ के दरवाजे लोहे के होंगें।
   - स्मार्ट क्लास की सुरक्षा एवं रख–रखाव सम्बन्धी अपरिहार्य कार्य कराये जा सकेंगे।

इसके अतिरिक्त विद्यालय की आवश्यकतानुसार अन्य कार्य भी विद्यालय प्रबन्ध समिति से अनुमोदनोपरान्त कराये जा सकेंगें।

सामान्य निर्देशः–

1. **यदि गत् वर्ष की कोई धनराशि शेष हो तो उसे वर्तमान वर्ष की धनराशि के साथ सम्मिलित कर संयुक्त कार्ययोजना बनाकर विद्यालय प्रबन्ध समिति के अनुमोदन से कार्य कराया जा सकेगा।**
2. विद्यालय की वास्तविक आवश्यकता के अनुसार ही वित्तीय नियमों का पालन करते हुए अच्छी गुणवत्ता की सामग्री क्रय की जानी है। यदि कोई कार्य अन्य योजना/मद के अन्तर्गत पूर्व में कराया जा चुका है अथवा अन्य योजनान्तर्गत कार्ययोजना में अनुमोदित है, तो पुनः कम्पोजिट स्कूल ग्राण्ट का उपयोग ऐसे कार्य के लिये न किया जाय। जो सामग्री गत वर्ष/पूर्व में क्रय की जा चुकी हो उसको क्रय सूची में अनावश्यक रूप से शामिल नहीं होना चाहिए। यह विशेष ध्यान रखा जाये कि एक ही कार्य के लिये दो मदों से धनराशि कदापि आहरित न हो। इस प्रकार के तथ्य प्रकाश में आने पर इसे गबन की श्रेणी में मानते हुये कार्यवाही की जायेगी।
3. विद्यालय प्रबन्ध समितियों द्वारा स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप विभिन्न सामग्रियों की क्रय प्रक्रिया में शासन द्वारा समय–समय पर निर्गत क्रय प्रक्रिया सम्बन्धी शासनादेशों, नियमावलियों एवं निर्देशों तथा टोर पर्चेज रूल्स में दिये गये आदेश एवं निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। इस सम्बन्ध में नियमानुसार कोटेशन/निविदा प्रक्रिया का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
4. कम्पोजिट स्कूल ग्राण्ट की धनराशि विद्यालय के खातो में हस्तान्तरण के बाद प्रत्येक विकास खण्ड स्तर पर बैठक आयोजित की जाये, जिसमें खण्ड शिक्षा अधिकारी तथा सहायक वित्त एवं लेखाधिकारी द्वारा समस्त प्रधानाध्यापकों/इंचार्ज अध्यापकों को कम्पोजिट स्कूल ग्राण्ट मद में अवमुक्त धनराशि, विभागीय निर्देश, क्रय की प्रक्रिया इत्यादि के साथ–साथ धनराशि उपभोग की विधिवत् जानकारी दी जायेगी।
5. कम्पोजिट स्कूल ग्राण्ट से क्रय की गयी सामग्री हेतु 02 प्रकार के स्टॉक रजिस्टर बनाये जायें, 1– उपभोज्य (consumable) सामग्री, जैसे– फिनायल, साबुन, मिष्ठान, हेतु 2–उपभोज्य न

होने वाली (non-consumable) सामग्री, जैसे– आलमारी, रजिस्टर, श्यामपट जैसी स्थायी प्रकृति की सामग्री, की प्रविष्टि हेतु।

6. **कम्पोजिट स्कूल ग्राण्ट में धनराशि का उपभोग के लिये सम्बन्धित विद्यालय के प्रधानाध्यापक पूर्णतः उत्तरदायी होंगे।**

कम्पोजिट स्कूल ग्राण्ट से क्रय की जाने वाली सामग्रियों की गुणवत्ता के सम्बन्ध में निम्नलिखित निर्देशों का अनुपालन अनिवार्यतः सुनिश्चित कराया जायेगा–

1. सामग्री क्रय में निर्धारित मानक एवं स्पेसीफिकेशन का पालन किया जायेगा।
2. क्रय की जाने वाली सामग्री प्रमुखतया भारतीय मानक ब्यूरो(BSI) प्रमाणित हो तथा यथासम्भव जी0एस0टी0 पंजीकृत फर्म से ही क्रय करने की कार्यवाही की जायेगी।
3. जो सामग्री BSI द्वारा प्रमाणित न हो वह मूल निर्माता/उत्पादक अथवा अधिकृत विक्रेता से ही क्रय की जायेगी।

अनुश्रवण, पर्यवेक्षण एवं सत्यापनः–

- कम्पोजिट स्कूल ग्राण्ट मद में अवमुक्त धनराशि का निर्धारित प्रारूप पर उपभोग प्रमाण–पत्र प्रधानाचार्य एवं अध्यक्ष, विद्यालय प्रबन्ध समिति के संयुक्त हस्ताक्षर से प्राप्त कर ब्लॉक स्तर पर संरक्षित रखा जायेगा एवं **प्रेरणा पोर्टल पर उपलब्ध कम्पोजिट स्कूल ग्राण्ट Data Capture Format (DCF) पर विद्यालयवार, मदवार त्रुटिरहित सूचना सम्बन्धित खण्ड शिक्षा अधिकारी द्वारा अपलोड की जायेगी।**
- खण्ड शिक्षा अधिकारी अपने विकास खण्ड में रैण्डम आधार पर 20% विद्यालयों में सामग्री क्रय की प्रक्रिया, उसकी गुणवत्ता तथा अभिलेखों के रख–रखाव के सम्बन्ध में स्वयं जांच करेंगे और निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित कराते हुए आख्या जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को भेजेंगे।
- सहायक वित्त एवं लेखाधिकारी प्रत्येक माह कम से कम 05 शिक्षण दिवस में सम्बन्धित खण्ड शिक्षा अधिकारी के साथ अलग–अलग विकास खण्ड के अलग–अलग विद्यालयों का पर्यवेक्षण करेंगे तथा संयुक्त निरीक्षण आख्या के साथ वित्तीय व्यवहार में पायी गयी कमियों का उल्लेख करते हुए भविष्य में विद्यालय स्तर पर युक्तियुक्त वित्तीय व्यवहार करने की अनुशंसा को जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करेंगे।
- जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी का दायित्व होगा कि वे सहायक वित्त एवं लेखाधिकारी तथा खण्ड शिक्षा अधिकारी के ऐसे पर्यवेक्षण का अनुश्रवण करें तथा उनके द्वारा दिये गये यथेष्ट सुझावों को प्रत्येक विद्यालय स्तर तक अनुपालन हेतु प्रभावी कदम उठायें।
- विद्यालय निरीक्षण के दौरान जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी तथा मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक(बेसिक) विद्यालय में कम्पोजिट स्कूल ग्राण्ट के उपभोग के सम्बन्ध में क्रय प्रणाली प्रक्रिया, सामग्री की गुणवत्ता तथा अभिलेखों के रख–रखाव व अनुदान के उपभोग में अनियमितता पाये जाने पर दोषी प्रधानाध्यापक/विद्यालय प्रबन्ध समिति के विरुद्ध कार्यवाही सुनिश्चित करेंगे।

उक्त के सम्बन्ध में क्रय की प्रक्रिया में पारदर्शिता, सामग्री की गुणवत्ता तथा अभिलेखों का समुचित रख–रखाव सुनिश्चित करने हेतु **जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष, जिला शिक्षा परियोजना समिति स्तर से अनुमोदन प्राप्त कर जिला स्तर के अधिकारी अथवा तहसील ब्लॉक स्तर के अधिकारी की दो सदस्यीय समिति गठित कर ली जाये एवं रेण्डम आधार पर चिन्हित करते हुए प्रति विकास खण्ड 20–20 विद्यालयों की जांच करा ली जाये। सत्यापन टीम द्वारा कम्पोजिट स्कूल ग्राण्ट की धनराशि के उपभोग, विद्यालयों में कराये गये कार्यों एवं क्रय–प्रक्रिया, सामग्रियों की गुणवत्ता तथा अभिलेखों के रख–रखाव की जांच की जायेगी।**

जांच दल द्वारा उपलब्ध करायी गयी जांच/मूल्याँकन रिपोर्ट राज्य परियोजना कार्यालय को भी प्रेषित की जायेगी, ऐसे निरीक्षण में 'समग्र शिक्षा' के तहत् विद्यालयवार क्रय/उपभोग किये गये अन्य मदों/उपयोजनाओं का भी पर्यवेक्षण किया जाना अपेक्षित होगा। सत्यापन के दौरान किसी भी प्रकार की अनियमितता तथा गुणवत्ता में कमी पाये जाने पर सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी का उत्तरदायित्व निर्धारित करते हुए नियमानुसार सक्षम स्तर से कार्यवाही की जाये। कम्पोजिट स्कूल ग्राण्ट की धनराशि का उपभोग करने के उपरान्त विद्यालयों से निर्धारित प्रारूप पर उपभोग प्रमाण–पत्र प्राप्त किया जायेगा।

कृपया उपरोक्तानुसार कम्पोजिट स्कूल ग्राण्ट की धनराशि प्राप्त होते ही विद्यालय प्रबन्ध समिति को स्थानान्तरित (टेबलेट सिम की धनराशि रोकते हुए) करने की कार्यवाही की जायेगी तथा नियमानुसार धनराशि का उपभोग सुनिश्चित कराया जायेगा।

संलग्नकः उक्तवत्।

भवदीय,

Kanchan

(कंचन वर्मा)
महानिदेशक, स्कूल शिक्षा।

पृ0सं0: नि0का0/स0शि0/क0स्कूल ग्रा0/ /2024–25 तद्दिनांक।

प्रतिलिपिः–

1. जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला शिक्षा परियोजना समिति, समस्त जनपद, उत्तर प्रदेश को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि जनपद स्तर पर जांच समिति गठित करते हुए समग्र शिक्षा अन्तर्गत वर्ष 2024–25 में कम्पोजिट स्कूल ग्राण्ट हेतु अवमुक्त धनराशि से क्रय की जाने वाली सामग्री/कराये जाने वाले कार्यों का सत्यापन कराते हुए अधोहस्ताक्षरी को भी अवगत कराने का कष्ट करें।
2. मुख्य विकास अधिकारी/उपाध्यक्ष, जिला शिक्षा परियोजना समिति, समस्त जनपद, उत्तर प्रदेश।
3. वित्त नियंत्रक, समग्र शिक्षा, राज्य परियोजना कार्यालय, लखनऊ।
4. मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक(बेसिक), समस्त मण्डल, उत्तर प्रदेश को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि अपने मण्डल से सम्बन्धित जनपदों में कम्पोजिट स्कूल ग्राण्ट से क्रय की जाने वाली सामग्री/कराये जाने वाले कार्यों की रेण्डम जांच करते हुए उनमें कार्य कराया जाना सुनिश्चित करें।
5. वरिष्ठ विशेषज्ञ(गुणवत्ता), समग्र शिक्षा, राज्य परियोजना कार्यालय, उत्तर प्रदेश।
6. खण्ड शिक्षा अधिकारी, समस्त विकास खण्ड, उत्तर प्रदेश को इस निर्देश के साथ कि सभी प्रधानाध्यापकों/इंचार्ज अध्यापकों को निर्देश एवं सूची की प्रति उपलब्ध कराते हुए नियमानुसार व्यय एवं अभिलेखों के रख–रखाव की कार्यवाही सुनिश्चित करायें साथ ही प्रेरणा पोर्टल पर उपलब्ध **कम्पोजिट स्कूल ग्राण्ट के Data Capture Format (DCF) पर सूचना अपलोड करायें।**
7. वैयक्तिक सहायक, राज्य परियोजना निदेशक, समग्र शिक्षा, उ0प्र0।

(कंचन वर्मा)
महानिदेशक, स्कूल शिक्षा।

अध्यापक राष्ट्र निर्माता हैं ! छात्र देश के भावी कर्णधार हैं !!

नवीन परीक्षा पद्धति पर आधारित उच्च स्तरीय प्रश्न–पत्र एवं सम्पूर्ण शैक्षणिक सामग्री एवं सम्पूर्ण परीक्षा सामग्री की व्यवस्था करने वाली एक मात्र संस्था।

अध्यापक परीक्षा परिषद

निकट– चित्रशाला टाकीज (डा. अखिलेश क्लीनिक), सफदर मार्केट– बहराइच

Mob.: 9454023786, 9721220786

प्रबन्धक : एम. शमीम खान "साहित्य रत्न"

कम्पोजिट स्कूल ग्राण्ट 2024-25 की सामग्री उपलब्ध

सामान्य निर्देशः- यदि गत् वर्ष की कोई धनराशि शेष हो तो उसे वर्तमान वर्ष की धनराशि के साथ सम्मिलित कर संयुक्त कार्य योजना बनाकर विद्यालय प्रबन्ध समिति के अनुमोदन से कार्य कराया जा सकेगा।

- कम्पोजिट स्कूल ग्राण्ट हेतु स्वीकृत धनराशि में से न्यूनतम 10 प्रतिशत धनराशि स्वच्छता अभियान/कार्यक्रम पर व्यय हेतु निर्धारित है, जो विद्यालय भवन, परिसर एवं छात्रों की स्वच्छता हेतु व्यय की जायेगी।
- विद्यालय में स्वच्छता सामग्री यथा ट्वायलेट क्लीनर, फिनायल, साबुन, चूना, झाड़ू, डस्टिंग, क्लाथ, नेलकटर, हैण्डवॉश, सेनिटाइजर, इत्यादि अनिवार्य रूप से वर्षपर्यन्त आवश्यकतानुसार उपलब्ध हो स्वच्छता के मद में इस कार्य को प्रथम वरीयता दी जायेगी।
- जिन विद्यालयों में छात्र/छात्राओं की संख्या के अनुरूप मल्टीपल हैण्डवाशिंग सिस्टम की व्यवस्था नहीं है, स्वच्छता के मद में इस कार्य को द्वितीय वरीयता क्रम में पूर्ण कराया जाना अनिवार्य होगा।
- शौचालय एवं हैण्डवाशिंग व्यवस्था की सुचारू रूप से क्रियाशीलता के लिये रनिंग वॉटर की सुविधा की व्यवस्था अनिवार्य रूप से सुनिश्चित करा ली जाये। यदि गत् वर्ष की धनराशि खाते में अप्रयुक्त बड़ी हो तो धनराशि को सम्मिलत करते हुए संयुक्त कार्ययोजना बनाते हुए विद्यालय प्रबन्ध समिति से अनुमादित कराकर यह कार्य पूर्ण करा लिया जाये। स्वच्छता के मद इस कार्य को तृतीय वरीयता के क्रम में पूर्ण कराया जाना है।
- जो सामग्री पूर्व से ही विद्यालय में उपलब्ध हो उसे क्रय न किया जाये। विद्यालय की वास्तविक आवश्यकता के अनुसार ही वित्तीय नियमों का पालन करते हुए अच्छी गुणवत्ता की सामग्री क्रय की जाय।
- फर्स्ट–एड–बाक्स हेतु क्रय की गयी सामग्री/दवाईयों की समाप्ति तिथि (Expiry Date) का अवश्य ध्यान रखा जाय।
- कम्पोजिट स्कूल ग्राण्ट से क्रय की गयी सामग्री हेतु 02 प्रकार के स्टॉक रजिस्टर बनाये जायें। 1– उपभोज्य (Consumable), सामग्री, जैसे– फिनायल, साबुन, मिष्ठान, हेतु। 2– उपभोज्य न होने वाली (Non Consumable) सामग्री, जैसे– अलमारी, रजिस्टर, श्यामपट जैसी स्थायी प्रकृति की सामग्री की प्रविष्ठि हेतु।
- सामान्य सामग्रीः– ग्रीन बोर्ड/व्हाइट बोर्ड, बोर्ड स्टैंड, नोटिस बोर्ड, कुर्सी–मेज, लोटा, ग्लास, सीसा, घण्टा, मुंगरी, दीवार घड़ी महान पुरूष/ स्वतन्त्रता सेनानियों की फोटो फ्रेम सहित आदि।

वर्ष- 2024 - 25 परीक्षाफल पंजिका एवं NAT परीक्षाफल पंजिका एवं O.M.R. Sheet नये प्रारूप पर

कक्षा 1, 2, 3, 4, 5 एवं कक्षा 6, 7, 8 प्रत्येक कक्षा के लिए नये प्रारूप पर

N.B.T. नेशनल बुक ट्रस्ट की पुस्कालय हेतु पुस्तकें उपलब्ध हैं।

नेशनल बुक ट्रस्ट बसन्त कुंज नई दिल्ली क्रमांक 23-23/Agent/NRO/ द्वारा अधिकृत वितरक

नोट– कम्पोजिट ग्राण्ट सामग्री व खेल सामग्री, स्टेशनरी व अन्य सामग्री का भुगतान P.F.M.S. द्वारा

P.F.M.S. Vendor ID : VAUPBH00032410

Firm Name	:	Adhyapak Pariksha Parishad
Bank Name	:	Punjab National Bank
Branch	:	Dihwa Sher Bahadur Singh, Kaisarganj
Pin Code	:	271903 Mobile: 9721320786
Account No.	:	5904002100001338
I.F.S.Code	:	PUNB0590400
GST. No.	:	09AJHPK9875B2ZT
PAN No.	:	AJHPK9875B

सम्बन्धित फर्म– शमीम बुक डिपो, कैसरगंज, बहराइच

!! शिक्षा है अनमोल रतन, पढ़ने का सब करो जतन !!

आओ पढ़ाएं
सबको बढ़ाएं

NIPUN BHARAT

NIPUN BHARAT

कम्पोजिट स्कूल ग्राण्ट

निपुण लक्ष्य

अ भाषा

बालवाटिका	✷ निर्धारित सूची में से 2 अक्षर वाले 5 शब्दों को सही से पढ़ लेते हैं।
कक्षा 1	✷ 5 सरल शब्दों (2 अक्षर) से बने वाक्य पढ़ लेते हैं।
कक्षा 2	✷ अनुच्छेद को 45 शब्द प्रति मिनट के प्रवाह से पढ़ लेते हैं। ✷ अनुच्छेद को पढ़ कर 75% प्रश्नों को सही हल कर लेते हैं।

गणित

बालवाटिका	✷ 10 तक की संख्यायें पढ़ लेते हैं। ✷ दी गई संख्याओं, वस्तुओं, आकृतियों एवं घटनाओं को क्रम में व्यवस्थित कर लेते हैं
कक्षा 1	✷ **एक** अंकीय जोड़ एवं घटाव के 75% प्रश्नों को सही हल कर लेते हैं।
कक्षा 2	✷ जोड़ (योग 99 तक) एवं घटाव (**दो** अंकीय) के 75% प्रश्नों को सही हल कर लेते हैं

कक्षा 1 से 2 तक के 100% छात्र 2025-26 तक निपुण लक्ष्य हासिल करें

प्राप्ति स्थान

अध्यापक परीक्षा परिषद बहराइच–271801 A.P.P.

अध्यापक परीक्षा परिषद

निकटः– चित्रशाला टाकीज, सफदर मार्केट, बहराइच–271801

Mob.: 9454023786, 9721220786

Email.: adhyapakparikshaparishad0786@gmail.com

अध्यापक राष्ट्र निर्माता हैं ! छात्र देश के भावी कर्णधार हैं !!

नवीन परीक्षा पद्धति पर आधारित उच्च स्तरीय प्रश्न–पत्र एवं सम्पूर्ण शैक्षणिक सामग्री एवं सम्पूर्ण परीक्षा सामग्री की व्यवस्था करने वाली एक मात्र संस्था।

अध्यापक परीक्षा परिषद

निकट– चित्रशाला टाकीज (डा. अखिलेश क्लीनिक), सफदर मार्केट– बहराइच

Mob.: 9454023786, 9721220786

प्रबन्धक : एम. शमीम खान "साहित्य रत्न"

समग्र शिक्षा अभियान के अन्तर्गत कम्पोजित स्कूल ग्राण्ट की धनराशि से विद्यालयों में क्रय की जाने वाली सामग्री / विद्यालय में कराये जाने वाले कार्यों की सुझावित सूची / विवरण

1.	I- स्वच्छता एवं हैण्डवाशिंग	रनिंग वाटर की निर्बाध उपलब्धता सहित छात्र संख्या के अनुपात में मल्टीपल हैण्डवाशिंग की व्यवस्था अनिवार्यतः सुनिश्चित की जायेगी।
		एवं हाथ धोने का साबुन–विद्यालय में छात्र नामांकन के आधार पर आवश्यकतानुसार :– फिनायल (20 लीटर), चूना (10 किग्रा), बाल्टी (02), मग (02), कूड़दान (04), झाड़ू (04), टायलेट ब्रश (02), टायलेट क्लीनर (10 लीटर), नेलकटर (04) विद्यालय परिसर के जल निकासी एवं किचेन जल निकासी की व्यवस्था।
	II- स्वच्छता एवं हैण्डवाशिंग	शौचालय का टाइलीकरण / लघु मरम्मत / सफाई / सुरक्षा
2.	शुद्ध पेयजल	हैण्डपम्प / सबमर्सिबल पम्प के पास पक्का प्लेटफार्म एवं सोख्ता गड्ढा का निर्माण। रसोई घर में भोजन बनाने हेतु जल आपूर्ति एवं जल निकासी की समुचित व्यवस्था।
3.	श्याम पट्ट	सभी कक्षा–कक्षों में मानकानुरूप उच्च गुणवत्तायुक्त व्हाइट / ग्रीन बोर्ड की उपलब्धता सुनिश्चित करना।
4.	शिक्षण सहायक सामग्री	प्रिण्ट रिच मैटीरियल, ग्लोब, मानचित्र (विश्व, भारत, उत्तर प्रदेश), विज्ञान / भूगोल / इतिहास / अन्य ज्ञानवर्द्धक चार्ट, दिव्यांग छात्रों हेतु टी.एल.एम. एवं एमबेस्ट ग्लोब एवं मानचित्र, आवश्यकतानुसार अलमारी का क्रय।
5.	फर्स्ट एड बॉक्स	रूई, मेडिकल टेप, क्रैम्प बैंडेज, मरहम, पट्टी, त्रिकोणीय बैंडेज, स्प्लिंट, ट्र्निफ्वेट थर्मामीटर, कैंची, दस्ताने, एंटीसेप्टिक लिक्विड, पेन रिलीवर, टेबलेट, पेरासीटीमोल, पेद, दर्द, एवं गैस की दवा, बरनोल, ओआरएसपैकेट, आंख पर लगाने वाली पैड, गर्म पानी की बोतल, ब्लेड, बर्फ की थैली, एंटीसेप्टिक क्रीम। आवश्यकतानुसार उपलब्धता।
6.	अग्नि शमन यंत्र	रिफिलिंग
7.	विद्युत उपकरण (क्रय/मरम्मत)	स्विच, प्लग, तार, एल.ई.डी., बल्ब, पंखे की मरम्मत।
8.	कम्प्यूटर शिक्षण	इण्टरनेट प्रीपेड बिल रिचार्ज के अनुसार एवं आवश्यकतानुसार कन्ज्यूमेबिल सामग्री।
9.	स्मार्ट क्लास	जिन कक्षों को स्मार्ट के रूप में विकसित किया जाना है उनमें अनिवार्य रूप से मजबूत ग्रिल युक्त लोहे के दरवाजे एवं डबल इंटरलाकिंग आदि सुरक्षा मानकों के पूरा किया जाना।
10.	अनुरक्षण कार्य	विद्यालय में उपलब्ध मरम्मत गोग्य सामग्री यथा– कुर्सी, मेज, झूला, हैण्डवाश, ब्लैड बोर्ड, फर्श एवं दीवार के आंशिक प्लास्टर / पैच वर्क एवं अन्य समस्त प्रकार की छोटी–मोटी मरम्मत एवं रख–रखाव, यथावश्यक दरवाजे हेतु ताले एवं इण्टरलॉक लगाया जाना। उपलब्ध धनराशि के अनुसार कक्षा–कक्षों का टाइलीकरण।
11.	आवश्यकतानुसार रंगाई–पुताई	विद्यालय की रंगाई–पुताई, दरवाजे, खिड़कियों, ग्रिल, चहारदीवारी गेट के पेन्ट।

P.T.O.

12.	पेन्टिंग कार्य	कक्षा–1 के लिए विशेष पेन्टिंग यथा बाल वाटिका का लोगो इत्यादि। बाल अधिकार। विद्यालय प्रबन्ध समिति के सदस्यों के नाम एवं दूरभाष नम्बर। विद्यालय के प्रधानाध्यापक का नाम (दूरभाष नम्बर सहित) एवं समस्त अध्यापकों के नाम। कम्पोजिट ग्रांट से कराए गए कार्यों का अंकन। अधिकारियों के नाम एवं मोबाइल नम्बर (जिलाधिकारी, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, खण्ड शिक्षा अधिकारी, ग्राम प्रधान)। महत्वपूर्ण दूरभाष नम्बर– जैसे पुलिस सेवा, फायर ब्रिगेड, एम्बुलेन्स, वूमेन पावर लाइन। किचन पर मध्यान्ह भोजन का मीनू एवं ऑपरेशन कायाकल्प के अन्तर्गत कराये गये कार्यों का अंकन। विद्यालय में बरामदा के ऊपर विद्यालय का यू–डायस कोड एवं नाम, विकास खण्ड तथा जनपद का नाम।
13.	स्टेशनरी	कक्षावार छात्र उपस्थिति पंजिका, शिक्षक उपस्थिति पंजिका, आवागमन पंजिका (Log Book) पत्र व्यवहार पंजिका, पुस्तक वितरण पंजिका, स्टाक पंजिका, पुस्तकालय स्टाक बुक पंजिका, पुस्तकालय पुस्तक वितरण पंजिका, पुस्तक निर्गमन पंजिका (टी.सी. बुक) क्रीड़ा पंजिका (खेल पंजिका), परीक्षाफल पंजिका, अभिभावक– अध्यापक बैठक पंजिका (P.T.M.), (M.T.A.) पंजिका, विद्यालय प्रबन्ध समिति (मासिक बैठक) (S.M.C.) पंजिका, शिक्षक डायरी, पाठ योजना पंजिका (शिक्षण योजना) (Lesson Plan), चाक रंगीन एवं सफेद (Non Dust) व डस्टर, बाल संसद व मीना मंच परिचय पत्र आदि।
14.	टाट–पट्टी/चटाई/दरी	पर्याप्त संख्या में टाट पट्टी / चटाईयां / दरी (बच्चों के कक्षाओं में बैठने हेतु)
15.	रेडियो प्रोग्राम (मीनामंच, जनपहल, आओ अंग्रेजी सीखें)	रेडियो (केवल मरम्मत) एवं बैटरी क्रय
16.	सांकृतिक कार्यक्रम हेतु	माइक / एम्पिलीफायर, बांसुरी, ढोलक, मंजीरा, ढपली, स्टॉप वाच, पी0टी0 ड्रम, आदि।
17.	सामान्य सामग्री	जग, गिलास, घण्टा (पीतल का) मुंगरी, तौलिया, एयर पम्प, दीवार घड़ी, महान पुरुष / स्वतन्त्रता सेनानियों के फोटो फ्रेम, बुलेटिन बोर्ड, अलमारी, बुकसेल्फ आदि।
18.	बागवानी सामग्री	खुर्पी, कुदाल, हसिया, कतरनी, तसला, हजारा, टोटी, प्लास्टिक, गमला, पर्दे इत्यादि।
19.	पुरस्कार वितरण हेतु सामग्री	विभिन्न प्रतियोगिताओं में विजेता छात्रों को प्रोत्साहन हेतु पुरस्कार यथा–पेन / पेन्सिल / लन्च बॉक्स, कहानियों / पेन्टिंग की किताब, मोमेन्टो इत्यादि।

नोटः क्रमांक 1–19 तक की सामग्री / कार्य की विद्यालय में उपलब्धता तथा आवश्यकता के आधार पर उक्त वरीयता क्रम में विद्यालय प्रबन्ध समिति के अनुमोदनोपरान्त सुनिश्चित की जायेगी और इसके अतिरिक्त विद्यालय की आवश्यकतानुसार तथा धनराशि की उपलब्धता के आधार पर विद्यालय प्रबन्ध समिति से अनुमोदनोपरान्त अन्य सामग्री का क्रय / अन्य कार्य कराया जा सकता है।

नोट– कम्पोजिट ग्राण्ट सामग्री व खेल सामग्री, स्टेशनरी व अन्य सामग्री का भुगतान P.F.M.S. द्वारा

P.F.M.S. Vendor ID : VAUPBH00032410

Firm Name : Adhyapak Pariksha Parishad
Bank Name : Punjab National Bank
Branch : Dihwa Sher Bahadur Singh, Kaisarganj
Pin Code : 271903 Mobile: 9721320786
Account No. : 5904002100001338
I.F.S.Code : PUNB0590400
GST. No. : 09AJHPK9875B2ZT
PAN No. : AJHPK9875B

सम्बन्धित फर्म– शमीम बुक डिपो, कैसरगंज, बहराइच

समग्र शिक्षा अभियान के अन्तर्गत कम्पोजिट स्कूल ग्राण्ट की धनराशि द्वारा क्रय की गई सामग्री के सत्यापन के लिए समिति गठन हेतु मुनादी एजेण्डा

महोदय,

आज दिनांक .... को विद्यालय प्रबन्ध समिति, प्राथमिक / उच्च प्राथमिक / संविलियन विद्यालय .... विकास खण्ड .... जनपद .... के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं समस्त सदस्यों को सूचित किया जाता है कि प्राथमिक / उच्च प्राथमिक / संविलियन विद्यालय .... विकास खण्ड .... जनपद .... के प्रांगण में विद्यालय प्रबन्ध समिति की एक अति आवश्यक बैठक दिनांक .... को प्रातः .... बजे आहूत की जायेगी।

बैठक का उद्देश्य समग्र शिक्षा अभियान के अन्तर्गत प्राप्त कम्पोजिट ग्राण्ट धनराशि के व्यय के सम्बन्ध में निर्णय लिया जाना है ।

सामग्री के सत्यापन हेतु सत्यापन समिति का गठन करना है। बैठक में विद्यालय प्रबन्ध समिति के समस्त पदाधिकारियों की उपस्थिति अनिवार्य एवं प्रार्थनीय है।

हस्ताक्षर प्रधानाध्यापक / सचिव
मुहर

हस्ताक्षर अध्यक्ष एवं सदस्य
विद्यालय प्रबन्ध समिति

क्र.सं.	पदाधिकारी / सदस्य का नाम	पद	हस्ताक्षर / निशानी अंगूठा
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			
11.			
12.			
13.			
14.			
15.			

फोटोग्राफ्स / अन्य विवरण

कम्पोजिट स्कूल ग्राण्ट सत्यापन समिति गठन हेतु बैठक का कार्यवृत्त

पूर्व में घोषित एजेण्डा के अनुसार आज दिनाकं .... को प्राथमिक / उच्च प्राथमिक / संविलियन विद्यालय .... विकास खण्ड .... जनपद .... के प्रांगण में विद्यालय प्रबन्ध समिति प्राथमिक / उच्च प्राथमिक / संविलियन विद्यालय .... की बैठक श्री / श्रीमती .... अध्यक्ष विद्यालय प्रबन्ध समिति की अध्यक्षता में आहूत की गई ।

सर्वप्रथम प्रधानाध्यापक / सचिव विद्यालय प्रबन्ध समिति द्वारा बैठक के विषय में विस्तार पूर्वक बताया गया कि वर्तमान सत्र में नामांकित छात्र संख्या के आधार पर समग्र शिक्षा अभियान के अन्तर्गत कम्पोजिट स्कूल ग्राण्ट की धनराशि .... विद्यालय प्रबन्ध समिति के खाते में दिनांक .... को विभाग द्वारा प्रेषित की गई हैं।

सदस्यों ने सर्व सम्मत से निर्णय लिया गया कि क्रय समिति के माध्यम से कम्पोजिट ग्रांट का व्यय किया जाना है जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे ।

1. विद्यालय प्रबन्ध समिति के अध्यक्ष।
2. प्रधानाध्यापक / सचिव विद्यालय प्रबन्ध समिति।
3. स्थानीय प्राधिकारी द्वारा नामित सदस्य।
4. विद्यालय प्रबन्ध समिति द्वारा आम सहमति से नामित सदस्य।
5. ग्राम प्रधान को विशिष्ट आमंत्रित सदस्य के रूप में आमंत्रित किया गया।

बैठक में श्री / श्रीमती .... द्वारा श्री / श्रीमती .... को अभिभावक सदस्य के रूप में रखने का प्रस्ताव किया। जिसका श्री / श्रीमती .... द्वारा समर्थन किया गया। सम्यक् विचारोपरान्त सर्वसम्मति से उपरोक्त प्रस्ताव पारित किया गया।

शासनादेशानुसार निम्नांकित सत्यापन समिति का गठन किया गया—

1. श्री / श्रीमती .... (अध्यक्ष विद्यालय प्रबन्ध समिति)।

2. श्री / श्रीमती .... (सचिव विद्यालय प्रबन्ध समिति)।

3. श्री / श्रीमती .... (ग्राम पंचायत सदस्य)।

4. श्री / श्रीमती .... (अभिभावक सदस्य विद्यालय प्रबन्ध समिति)।

5. श्री / श्रीमती .... (विशेष आमन्त्रित सदस्य / ग्राम प्रधान)।

सत्यापन समिति के गठन के उपरान्त सामग्री क्रय करने की कार्य योजना पर विचार किया गया । तथा उपरोक्त समिति को कम्पोजिट ग्रांट की धनराशि को निर्धारित मदों के अनुरूप व्यय करने हेतु अनुमोदन प्रदान किया गया ।

हस्ताक्षर अध्यक्ष एवं सदस्य
विद्यालय प्रबन्ध समिति

हस्ताक्षर प्रधानाध्यापक / सचिव
मुहर

कम्पोजिट ग्राण्ट धनराशि द्वारा क्रय की गयी सामग्री के सत्यापन हेतु बैठक का कार्यवृत्त

पूर्व में घोषित एजेण्डा के अनुसार आज दिनांक ....को प्राथमिक/उच्च प्राथमिक/संविलियन विद्यालय .... विकास क्षेत्र .... जनपद .... के प्रागंण में सत्यापन समिति प्राथमिक प्राथमिक/उच्च प्राथमिक/संविलियन विद्यालय विद्यालय की बैठक श्री/श्रीमती .... अध्यक्ष सत्यापन समिति/ विद्यालय प्रबन्ध समिति की अध्यक्षता मे आहूत की गई।

सर्वप्रथम प्रधानाध्यापक/सचिव सत्यापन समिति द्वारा समिति को अवगत कराया गया। कि कम्पोजिट ग्राण्ट धनराशि के द्वारा सभी सामग्री का क्रय व अन्य आवश्यक कार्य कर लिया गया है।

तदुपरान्त प्रधानाध्यापक/सचिव द्वारा सत्यापन समिति से क्रय की गई सामग्री की गुणवत्ता की जाँच करने के लिए अनुरोध किया गया।

इसके उपरान्त सत्यापन समिति के अध्यक्ष एवं सदस्यों द्वारा क्रय की गई सामग्री का भौतिक परीक्षण करते हुए गुणवत्ता की जाँच की गई।

सत्यापन समिति ने जाँचोपरान्त पाया कि क्रय की गयी सामग्री मानक एवं गुणवत्ता के अनुरूप उक्त समिति द्वारा किये गये व्यय पर आम सहमति व्यक्त की जाती है जिसकी पुष्टि हेतु अग्रलिखित के हस्ताक्षर/ अँगूठे के निशान कार्यवाही पंजिका पर अंकित किये जा रहे हैं ।

हस्ताक्षर अध्यक्ष एवं समस्त सदस्य
सत्यापन समिति
मुहर

हस्ताक्षर प्रधानाध्यापक/सचिव
मुहर

समग्र शिक्षा अभियान के अन्तर्गत स्वीकृत कम्पोजिट स्कूल ग्राण्ट व्यय विवरण

विद्यालय का नाम– प्राथमिक / उच्च प्राथमिक / संविलयन विद्यालय ....

न्याय पंचायत .... विकास खण्ड / नगरक्षेत्र .... जनपद ....

क्रम सं.	सामग्री का नाम	मात्रा	दर	**योग**	क्र. सं.	सामग्री का नाम	मात्रा	दर	**योग**
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
			कुल योग–					**कुल योग–**	

प्राप्त धनराशि रूपये........................... व्यय धनराशि रूपये........................... शेष धनराशि रूपये...........................

अवशेष का कारण :

हस्ताक्षर
अध्यक्ष विद्यालय प्रबन्ध समिति

हस्ताक्षर
प्रधानाध्यापक / प्रभारी प्रधानाध्यापक

उपभोग प्रमाण-पत्र

मैं .... (प्रधानाध्यापक / प्रभारी प्रधानाध्यापक) प्राथमिक / उच्च प्राथमिक / संविलयन विद्यालय .... न्याय पंचायत .... विकास खण्ड / नगर क्षेत्र .... जनपद ....

प्रमाणित करता / करती हूं कि वर्ष 202 – 202 के लिये कम्पोजिट ग्राण्ट की धनराशि रूपये .... दिनांक .... तक उपभोग कर ली गयी है। इससे सम्बन्धित अभिलेख स्कूल में सुरक्षित है, जिन्हे निरीक्षण के समय उपलब्ध कराया जायेगा।

दिनांक ....

हस्ताक्षर

प्रधानाध्यापक / प्रभारी प्रधानाध्यापक